न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 16/2021

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मुनेश सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह, अमूल मिल्क पार्लर, मैसर्स हेमन्त कुमार शर्मा, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेर (घर का पता – पुरोहित का पुरा, बकनासा, लेह मोहद, बकनासा, भिण्ड मालनपुर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश पिन 477117) (खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)
2. श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय, अमूल मिल्क पार्लर, मैसर्स हेमन्त कुमार शर्मा एण्ड जीसीएमएफलि, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेर (घर का पता – आउटसाईड दिल्ली गेट, मौहल्ला खास, अलवर पिन 301001) (खाद्य कारोबारकर्ता/मैसर्स सबलाईसेन्सी)
3. श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपतलाल माथुर, अमूल मिल्क पार्लर, मैसर्स हेमन्त कुमार शर्मा एण्ड जीसीएमएफलि, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेर (घर का पता – सी–92, हरी नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर पिन 302017) (नॉमिनी/मैसर्स/लाईसेन्सी)
4. Gujrat Co-Operative Milk Marketing Federation Limited (GCMMFLtd.) B-40, Keshav Path, Suraj Nagar (West) Civil Lines, Jaipur Pin 302006 (फर्म/लाईसेन्सी)
5. श्रीमती कोमल जेठानी पत्नी श्री सुरेश जेठानी, अरावली सेल्स एजेन्सी, कवण्डसपुरा, मदारगेट, अजमेर (घर का पता – सी–45, पंचशील ब्लॉक, वार्ड नम्बर 54, चौरसियावास, अजमेर। 23/4, गुल मोहर कॉलोनी, सागर विहार, वैशाली नगर, अजमेर।) (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक नम्बर 01)
6. अरावली सेल्स एजेन्सी, कवण्डसपुरा, मदारगेट, अजमेर (फर्म/वितरक नम्बर 01)
7. Jaipur GCMMFLtd., Jaipur, 30, Shri Ram pura Colony, Civil Lines, Jaipur 302006 (फर्म/वितरक नम्बर 02)
8. Sh. Naresh C. Shah, Dy. Manager (QA)] Amul Fed Dairy, (previously known as Mother Dairy) (A unit of GCMMF Ltd.) Gandhi Nagar, Bhat Pin 382428 (Guj) (नॉमिनी निर्माता/खाद्य कारोबारकर्ता)
9. Amul Fed Dairy, (previously known as Mother Dairy) (A unit of GCMMF Ltd.) Gandhi Nagar, Bhat Pin 382428 (Guj) (फर्म/निर्माता)

........*अप्रार्थी*

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

अभिभाषक : श्री विनोद भारद्वाज, अप्रार्थी सं 2 से 9 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 31.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिथ्या छाप (मिस ब्राण्डेड) टोन्ड मिल्क – अमूल कूल, रॉयल इलायची का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक जयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.12.2019 को 13:20 पर खाद्य संरक्षा अधिकारी मैसर्स अमूल मिल्क पार्लर, मैसर्स हेमन्त कुमार शर्मा एण्ड जीसीएमएमएफएल, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 04/05, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री मुनेश सिंह मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय Stertilised flavourd homogenised toned milk 7 AmulKool-Royal elaichi B.No. GAW 3411 की पॉलीपेट, कम्पनी द्वारा सीव्ड पैक्ड की कई बोतलें (प्रत्येक की मात्रा 200 मिली) आम जनता कों विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त अमूल कूल मिल्क रॉयल इलायची की की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु अमूल कूल टोन्ड मिल्क रॉयल इलायची की 12 पॉलीपेट बोतल (2400 मिली) 360/– रूपयें श्री मुनेश सिंह को नगद देकर गवाह श्री विनोद कुमार के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मुनेश सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा अमूल कूल टोन्ड मिल्क रॉयल इलायची के चार नमूना भाग (प्रतयेक नमूना भाग में 03 सील्ड पॉलीपेट) तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 658 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को श्री विनोद कुमार , सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जयपुर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से अमूल कूल टोन्ड मिल्क रॉयल इलायची (जिसका नमूना लिया गया था) का माल खरीद बिल मांगे जाने पर विक्रेता ने उक्त बिल की प्रति उपलब्ध करवायी।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–658 दिनाक 13.01.2020 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/3187/एक्ट/2019/36 दिंनांक 07.01.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया फ्लेवर्ड टोन्ड मिल्क अमूल कूल ब्राण्ड रॉयल इलायची, मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की ओर से वकील श्री विनोद भारद्वाज ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

वकील अप्रार्थी ने कई अवसर दिये जाने के बाद भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया, अतः उनका जवाव दिये जाने का अवसर समाप्त किये जाने व नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया फ्लेवर्ड टोन्ड मिल्क अमूल कूल ब्राण्ड रॉयल इलायची, मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड)पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया फ्लेवर्ड टोन्ड मिल्क अमूल कूल ब्राण्ड रॉयल इलायची, मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अमूल एक जाना पहचाना ब्राण्ड है। जनहित में न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि निर्माता कम्पनी द्वारा मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) फ्लेवर्ड टोन्ड मिल्क अमूल कूल ब्राण्ड रॉयल इलायची का विक्रय किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्ननुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 52 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 9)** जरिये श्री नरेश सी शाह (अप्रार्थी सं 8) Amul Fed Dairy, (previously known as Mother Dairy) (A unit of

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

GCMMF Ltd.) Gandhi Nagar, Bhat Pin 382428 (Guj) पर रू. 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र)

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 52 के तहत –

अप्रार्थी संख्या 1 श्री मुनेश सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह (रिटेलर) पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

अप्रार्थी संख्या 2. श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

अप्रार्थी संख्या 4 GCMMF Ltd. तथा अप्रार्थी संख्या 7 Jaipur GCMMF Ltd. जरिये अप्रार्थी सं 3 श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपत लाल माथुर पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

अप्रार्थी संख्या 6 अरावली सेल्स एजेन्सी जरिये अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती कोमल जेठानी पत्नी श्री सुरेश जेठानी पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

की शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 31.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री मुनेश सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह, अमूल मिल्क पार्लर,
   घर का पता – पुरोहित का पुरा, बकनासा, लेह मोहद, बकनासा, भिण्ड मालनपुर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश पिन 477117)
6. श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय, अमूल मिल्क पार्लर,
   घर का पता – आउटसाईड दिल्ली गेट, मौहल्ला खास, अलवर पिन 301001)
7. श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपतलाल माथुर, अमूल मिल्क पार्लर,
   घर का पता – सी–92, हरी नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर पिन 302017)
8. Gujrat Co-Operative Milk Marketing Federation Limited (GCMMFLtd.)
   B-40, Keshav Path, Suraj Nagar (West) Civil Lines, Jaipur Pin 302006
9. श्रीमती कोमल जेठानी पत्नी श्री सुरेश जेठानी, अरावली सेल्स एजेन्सी, कवण्डसपुरा, मदारगेट, अजमेर (घर का पता – सी–45, पंचशील ब्लॉक, वार्ड नम्बर 54, चौरसियावास, अजमेर। 23/4, गुल मोहर कॉलोनी, सागर विहार, वैशाली नगर, अजमेर।) (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक नम्बर 01)

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

10. अरावली सेल्स एजेन्सी, कवण्डसपुरा, मदारगेट, अजमेर (फर्म / वितरक नम्बर 01)
11. Jaipur GCMMFLtd., Jaipur, 30, Shri Ram pura Colony, Civil Lines, Jaipur 302006 (Sh. Naresh C. Shah, Dy. Manager (QA), Amul Fed Dairy, (previously known as Mother Dairy) (A unit of GCMMF Ltd.) Gandhi Nagar, Bhat Pin 382428 (Guj) (नॉमिनी निर्माता / खाद्य कारोबारकर्ता)
12. Amul Fed Dairy, (previously known as Mother Dairy) (A unit of GCMMF Ltd.) Gandhi Nagar, Bhat Pin 382428 (Guj) (फर्म / निर्माता)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर